बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–25.02.2026

संख्या–6/एन0–11–08/2021–213(6B)/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए "बिहार परिचारिका संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026" बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–

(i) यह नियमावली "बिहार परिचारिका संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह संशोधन नियमावली दिनांक–24.04.2025 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(iv) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

2. बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमावली के नियम–2 के उपनियम (viii), को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"2(viii) मान्यता प्राप्त संस्थान" से अभिप्रेत है संघ अथवा किसी भी राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान।

3. बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमावली के नियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

अर्हताएँ। – मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर अवधारित अवधि का जी0एन0एम0 कोर्स में उत्तीर्णता के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। बी0एस0सी0 (नर्सिंग) योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र

होगें। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउन्सिल में निबंधित रहना अनिवार्य होगा, परन्तु अंतिम रूप से चयन होने के उपरान्त नियुक्ति/योगदान से पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से निबंधित होना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 6/एन0–11–08/2021–213(6B).........पटना, दिनांकः– 25/02 24/02/2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद, पटना को सभा/परिषद के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

24/02/2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–25.02.2026

संख्या–6/एन0–11–08/2021–213(68)/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए "बिहार परिचारिका संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026" बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–

(i) यह नियमावली "बिहार परिचारिका संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह संशोधन नियमावली दिनांक–24.04.2025 के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(iv) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

2. बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमावली के नियम–2 के उपनियम (viii), को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"2(viii) मान्यता प्राप्त संस्थान" से अभिप्रेत है संघ अथवा किसी भी राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान।

3. बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2024 का प्रतिस्थापन। – उक्त नियमावली के नियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

<u>अर्हताएँ</u>। – मूल कोटि के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर अवधारित अवधि का जी0एन0एम0 कोर्स में उत्तीर्णता के साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। बी0एस0सी0 (नर्सिंग) योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र

होगें। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउन्सिल में निबंधित रहना अनिवार्य होगा, परन्तु अंतिम रूप से चयन होने के उपरान्त नियुक्ति/योगदान से पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से निबंधित होना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
25/02/2026

ज्ञापांकः– 6/एन0–11–08/2021–213(6B)..........पटना, दिनांकः– 25/02/26

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद, पटना को सभा/परिषद के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
25/02/2026